चैन कंवर बनाम छीतरराम वगै.
मुकदमा नम्बर 31/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)
पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया –
चैन कंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. छीतरराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष
2. पुष्पादेवी पत्नि मालचन्द जाति अग्रवाल उम्र 65 वर्ष
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष
4. लालाराम पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार उम्र 45 वर्ष
5. विजयसोमानी पुत्र हरिशचन्द्र जाति महाजन उम्र 46 वर्ष
6. सालगराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार उम्र 62 वर्ष निवासीयान ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।
7. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमू जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) नावां तहसील नावां।

दावा वास्ते भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता वादीया
श्री जग्गाराम अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

मुकदमा नम्बरः– 31/2022 निर्णय दिनांकः– 30.10.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 6.02 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से काफी वर्षो से भौतिक बंटवारा कर रखा हैं एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 अपने हक व हिस्से की भूमि पर चार दिवारी निकाल कर अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का 19/301 अर्थात 0.38 हैक्टर व प्रतिवादी नं 3 राजेन्द्रसिंह का 15/301 अर्थात 0.30 हैक्टर भूमि पर चार दिवारी निकालकर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण आये दिन उक्त भूमि की सींवा को लेकर लडाई झगडा करते रहते हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त भूमि में से अपने बूंट व अपने हक हिस्से की भूमि का मेट्स मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग दर्ज कराने का हकदार है इसलिए भू विभाजन का वाद पत्र पेश किया। राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 6.02 हैक्टर भूमि में से वादीया की 19/301 हिस्सा अर्थात 0.38 हैक्टर भूमि में वादीया काबिज खातेदार कृषक हैं इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री फरमाने एवं उक्त भूमि में वादीया की हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स काबिज अनुसार भू–विभाजन कर सेपरेट होल्डिंग कायम की जाकर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की डिक्री फरमाने एवं वादीया की हक हिस्से बंट की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं डाले न ही अपने एजेन्टों से डलवाए न ही किसी प्रकार की सीव सीव फेरबदल करे वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार का दखल न ही डाल। न ही विधिवत भू–विभाजन के किसी प्रकार का हस्तानांतकरण, बैचान, रहन नहीं करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 का जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जग्गाराम ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेष कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 6.02 हैक्टर भूमि में से वादीया की 19/301 हिस्सा अर्थात 0.38 हैक्टर भूमि में वादीया काबिज खातेदार कृषक हैं इस आषय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स काबिज अनुसार भू–विभाजन कर सेपरेट होल्डिंग कायम की जाकर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की डिक्री फरमाई जावे तो इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं बल्कि पूर्ण सहमति हैं। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया चैन कंवर, पी. डब्ल्यू.2 श्रीगोपाल राठौड़ पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत व पी.डब्ल्यू.3 जुगलकिषोर सिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासीया मीठड़ी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवान हेतु सहमत होने पर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कि[illegible] किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.68 हैक्टर कुल

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रकबा 6.02 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 6.02 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीया चैनकंवर, प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। संबंधित बैंक में खातेदारों का रहन यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:35 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया —

चैन कंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।

वनाम

प्रतिवादीगण —

1. छीतरराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष
2. पुष्पादेवी पत्नि मालचन्द जाति अग्रवाल उम्र 65 वर्ष
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष
4. लालाराम पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार उम्र 45 वर्ष
5. विजयसोमानी पुत्र हरिशचन्द्र जाति महाजन उम्र 46 वर्ष
6. सालगराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार उम्र 62 वर्ष निवासीयान ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।
7. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमू जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 31/2022 निर्णय दिनांक :— 30.10.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता वादीया एवं श्री जग्गाराम अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.68 हैक्टर कुल रकबा 6.02 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीया चैनकंवर, प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। संबंधित बैंक में खातेदारों का रहन यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.11.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीलान	NIL	NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:35 IST
Reason: SelfAttested